

मूलवाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 66/2013 (रे.वाद)

वादीपक्ष -

1. दिलीप दिक्षित पिता रमणलाल सनाढ्य निवासी नाथद्वारा मृतक के बजाय-
1/1. सरोज पत्नि स्व. दिलीप दिक्षित निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा
जिला राजसमन्द
- 1/2. दिव्यांश पिता स्व. दिलीप दिक्षित निवासी नाथद्वारा नाबालिक संरक्षक
जरिये माता सरोज पत्नि स्व. दिलीप दिक्षित निवासी नाथद्वारा तहसील
नाथद्वारा जिला राजसमन्द
- 1/3. प्रियांशी पिता स्व. दिलीप दिक्षित निवासी नाथद्वारा नाबालिक संरक्षक
जरिये माता सरोज पत्नि स्व. दिलीप दिक्षित निवासी नाथद्वारा तहसील
नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. हेमन्त कुमार पिता रमणलाल सनाढ्य निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा
जिला राजसमन्द
3. दिनेश पिता रमणलाल सनाढ्य निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला
राजसमन्द

प्रतिवादीपक्ष -

1. पुरुषोत्तम पिता गोविन्द माली निवासी जुनीवाडी तहसील नाथद्वारा जिला
राजसमन्द
2. लक्ष्मीनारायण पिता गोविन्द माली निवासी जुनीवाडी तहसील नाथद्वारा जिला
राजसमन्द
3. जगदीश पिता स्व. परमानन्द माली निवासी जुनीवाडी तहसील नाथद्वारा
जिला राजसमन्द
4. ओमप्रकाश पिता स्व. परमानन्द माली निवासी जुनीवाडी तहसील नाथद्वारा
जिला राजसमन्द
5. तारा पत्नि स्व. परमानन्द माली निवासी जुनीवाडी तहसील नाथद्वारा जिला
राजसमन्द

दावा :- स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
वादी की ओर से - श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से - श्री ईश्वरसिंह सामोता, अधिवक्ता

मैं इस आशय में दिनांक 13/08/2025 को न्यायालय के समक्ष
अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती
है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07
नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर
खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से
कम की जावें।

आज दिनांक 13/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की
मोहर से जारी की गई।




(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द